To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

No. 161/G/OA-645/Lalit Kumar/2024. Date- 17-5-24.

Sub: Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of Original Application No. 645 of 2023, Lalit Kumar Jain Vs. State of U.P. & Ors in compliance of order dt. 15.03.2024 passed by Hon'ble NGT

Sir,

Hon'ble NGT has passed an order dated 15.03.2024 in Original Application No. 645 of 2023, Lalit Kumar Jain Vs. State of U.P. & Ors. The operative portion of the order is as under:-

".... 3. Though, the Municipal Council has failed to discharge its responsibility to prevent the discharge of sewage and other pollutants in the canal in question but the report of the UPPCB does not reflect any action by the local authorities including the action of imposition of Environmental Compensation (EC).

4. The water quality analysis report submitted by UPPCB signed on 19.02.2024 shows BOD values of 48 mg/l and 52 mg/l at sampling point of Meerapur Rajwaha Baraut Upstream and downstream locations respectively which is non-compliant to prescribed standares of a stream.

5. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now the due action will be taken by the UPPCB against the erring local bodies within a period of six weeks and action taken report will be filed. Let the same be filed at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Meanwhile, it will also be open to the Municipal Council to file the response indicating the remedial actions which are taken/proposed for interception and diversion of drainages flowing to the canal and preventing disposal of solid waste.

7. List on 22.05.2024....."

In compliance of the above order Action Taken Report is being submitted for kind perusal and necessary action please.

This is being submitted with the approval of competent authority.

Regards.

Enclosure: As above

Yours faithfully

BPYadav

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer,
UPPCB,Meerut

CC- Shri Pradeep Mishra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme court/NGT for necessary action please.

BPYadav

Regional Officer,
UPPCB,Meerut

Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of Original Application No. 645 of 2023, Lalit Kumar Jain Vs. State of U.P. & Ors in compliance of order dt. 15.03.2024 passed by Hon'ble NGT-

1-In compliance of the order dt 15.03.2024, UPPCB issued a Show Cause Notice to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat vide letter no. H09972/C-3/NGT-375/dated-25/04/2024 for imposition of Environmental Compensation @ 5.0 lakh per month per drain with respect to discharge of untreated domestic effluent into minor without having sewerage treatment plant and for non compliance of orders of Hon'ble NGT passed in this matter read with the order dt 21.05.2020 in OA No 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Ors vs Union of India & Ors. Copy of Show Cause notice is attached as **Annexure-1.**

2-Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat submitted its representation to UPPCB against the Show Cause notice vide its letter dated 08/05/2024 along with relevant documents which has been scrutinized by UPPCB.

3-UPPCB has further imposed Environmental Compensation of Rs. 2.30 crore (Rs. Two crore thirty lakh only) @ 5.0 lakh per month per drain with respect to non compliance of orders of Hon'ble NGT passed in this matter along with the order dt 21.05.2020 in OA No 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Ors Vs Union of India & Ors with the direction to submit the compensation within a week. A copy of said direction vide letter no H11053/C-3/NGT375/OA-645/23/2024 dt. 17/05/2024 is attached as **Annexure-2.**

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer,
UPPCB,Meerut

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H09972/सी–3/NGT-375/2024 दिनांक 25/04/2024

सेवा में,

पजीकृत

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बडौत,
जनपद–बागपत। 8189077887

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–645/2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 14.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पालिका क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को बायो रेमेडिएशन प्रकिया के पश्चात सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे में निस्तारित किया जाता पाया गया है। जिसके संबंध मे बोर्ड के पत्र संख्या H07548/सी–3/NGT-375/2024 दिनांक 23.02.2024 द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत रजवाहे में सालिड वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण को तत्काल रोका जाये तथा ठोस अपशिष्ट को डम्प नहीं किया जाये तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार ही निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं जनित सीवेज उत्प्रवाह के शोधन हेतु पर्याप्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना करे एवं कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसो में बोर्ड मे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के संबंध में आप द्वारा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उपलब्ध नही करायी गयी।

अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओए सं0 645/2023 Lalit Kumar Jain. Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन एवं अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"…………We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF………."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के पत्राक 59/G/OA-645/Lalit Kumar/2024 दिनांक 08.04.2024 एवं पत्रांक 69/G/OA-645/Lalit Kumar/2024 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत द्वारा सीवेज शोधन हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है तथा वैकल्पिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को बायो रेमेडिएशन प्रकिया के पश्चात सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे में निस्तारित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत रजवाहे का दूषित होना सम्भावित है।

AEE 01/4/24 ND

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

8……Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP……"

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 एवं 15.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के विरूद्ध दिनांक–01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों से सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे मे निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Atulesh yadav
(अतुलेश यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–3

o/c

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H11053 /सी–3/NGT-375/OA-645/23/2024 दिनांक 17/05/2024

सेवा में,

पजीकृत

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बडौत,
जनपद–बागपत। (8189077887)

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 08.04.2024 एवं 15.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के अनुक्रम में नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच–09972/सी–3/एनजीटी–375/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा दिनांक–01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बडौत, जनपद– बागपत द्वारा कारण बताओ नोटिस के क्रम में अपने पत्रांक 67/2024–25/मुख्य कार्यालय दिनांक 08.05.2024 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कारण बताओ नोटिस को निक्षेप किए जाने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्या दिनांक 15.05.2024 के अनुसार नगर पालिका परिषद द्वारा मीरापुर रजवाहे में निस्तारित अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 15 कि0मी0 मेन सीवर लाईन एवं 05 कि0ली0/दिन एस0टी0पी0 की स्थापना सहित पम्पिंग स्टेशन एवं I & D वर्क हेतु उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बागपत से डीपीआर तैयार कराते हुए शीघ्र–अतिशीघ्र कार्य कराने का अनुरोध किया गया है। नगर पालिका परिषद के अनुसार वर्तमान में पालिका द्वारा मीरापुर रजवाहे में प्रवाहित हो रहे नाला/नालियों का पानी अस्थायी रूप से विभाजित करने हेतु मौकानुसार आगणन अंकन 19914494/– रूपये का तैयार किया गया है, जो नियमानुसार पालिका बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृत उपरान्त ई–टैण्डर प्रकिया अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण किया जाना है।

अग्रेतर अद्यतन निरीक्षण दिनांक 12.05.2024 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा अद्यतन आख्या दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बायोरेमिडिएशन का कार्य नहीं किया जा रहा है एवं निरीक्षण के समय रजवाहे के डाउन स्ट्रीम से लिये गये उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों से अधिक पाए गए हैं। रजवाहे में कूड़ा–करकट की सफाई का कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया है। पूर्व में निरीक्षण दिनांक 24.02.2024 में बायोरेमिडिएशन के उपरान्त उत्प्रवाह की गुणवत्ता सिंचाई मानकों के अनुरूप पायी गयी थी, उत्प्रवाह की गुणवत्ता जल स्ट्रीम हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप नही है। नगर पालिका परिषद द्वारा वर्तमान तक एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद– बागपत के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 30.04.2024 तक (कुल माह–46) 05 लाख प्रतिमाह की दर से रूपये 2.30 करोड मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.05.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच–09972/सी–3/एनजीटी–375/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों से सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित

.....2

न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 30.04.2024 तक (कुल माह–46) 05 लाख प्रतिमाह की दर से रूपये 2.30 करोड़ मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैक के खाता संख्या–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 मे एक सप्ताह के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Atulesh yadav

(अतुलेश यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बडौत पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–3

o/c